मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2026 (फाल्गुन 18, 1947)

प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों के अधीन बनाये गये निम्नलिखित संविहित नियम तथा आदेश विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2026 सत्र में उनके सम्मुख अंकित दिनांक को पटल पर रखे गये.

क्र.	नियम/अधिसूचना का क्रमांक एवं राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक	संक्षिप्त विषय	पटल पर रखे जाने का दिनांक	विभाग
1.	क्रमांक TRP-0057-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 12 जनवरी, 2026	राज्य सरकार एतद् द्वारा परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 22-71-2021-आठ जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 06 मार्च 2023 में संशोधन करती है.	24 फरवरी, 2026	परिवहन
2.	क्रमांक एफ-22-02-2019-आठ, दिनांक 16 जनवरी, 2026	राज्य सरकार एतद् द्वारा समस्त गैर-परिवहन यानों (मोटर साइकिल मोटर कार निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन यानों जो कि जीवनकाल कर संदाय के दायीं हैं और जिनका वर्ष 2025-2026 की कालावधि में व्यापार मेला ग्वालियर अथवा वर्ष 2026 की कालावधि में विक्रमोत्सव व्यापार मेला उज्जैन में विक्रय किया जाता है पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाना.	24 फरवरी, 2026	परिवहन
3.	क्रमांक TRP-0086-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 23 जनवरी, 2026	राज्य सरकार एतद् द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय में ई-डिटेक्शन सेल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न ई-चालानों को जारी करने हेतु अधिकृत करती है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की ई-डिटेक्शन प्रणाली को मध्यप्रदेश राज्य में स्थित नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे के टोल बूथों एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभागों के साथ एकीकृत किया जाएगा तथा इन स्थलों से गुजरने के दौरान पता लगने वाले वाहनों हेतु मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) के अधीन आवश्यक दस्तावेजों की वैधता का सत्यापन ई-डिटेक्शन प्रणाली के माध्यम से स्वत: हो जायेगा. वाहनों के दस्तावेज अविधिमान्य पाए जाने की दशा में, ऐसे वाहनों को, परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट ई-डिटेक्शन सेल के अधिकारियों द्वारा चालाना जारी किए जाएंगे.	24 फरवरी, 2026	परिवहन
4.	क्रमांक 3-3-4-0004-2025-Sec-1-आठ-(TRP), दिनांक 23 जनवरी, 2026	राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को मध्यप्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम 2025 (क्रमांक 15 सन् 2025) की अनुसूची के अनुक्रमांक 11 में उल्लिखित मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के प्रवृत्त होने के लिए तारीख के रूप में नियत किया जाना.	24 फरवरी, 2026	परिवहन
5.	क्रमांक TRP/15/0007/2025-Sec-1-08(TRP), दिनांक 29 जनवरी, 2026	राज्य सरकार एतद् द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 अक्टूबर 2025 में सूचना के रुप में प्रकाशन किया गया था अब उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन किया जाना.	24 फरवरी, 2026	परिवहन

6.	क्रमांक TRP-3-0001-2025-Sec-1आठ-(TRP), दिनांक 09 फरवरी, 2026	अधिसूचना क्रमांक TRP-3-0001-2025-Sec-1-आठ दिनांक 28 मार्च 2025 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा संपूर्ण राज्य में उक्त धारा की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकारियों से मिलकर बनने वाले राज्य परिवहन प्राधिकरण का तत्काल प्रभार से पुनगर्ठन किया जाना.	24 फरवरी, 2026	परिवहन

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.